N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** कानपुर देहात

P.S. (थाना): मूसानगर **Year (वर्ष):** 2026

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0047

Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 11/05/2026 22:47

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	420
2	भा दं सं 1860	467
3	भा दं सं 1860	468
4	भा दं सं 1860	471
5	भा दं सं 1860	120-B

3.(a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना) :**

1. **Day (दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/04/2013 **Date To (दिनांक तक):** 11/05/2013

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 11/05/2026 **Time** (समय): 22:47 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 054 **Date & Time** (दिनांक और समय): 11/05/2026 22:47 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) **Direction and distance from P.S.** (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 12 किमी **Beat No.** (बीट सं.):

(b) **Address** (पता): अमिलिया, चपरघटा , कछगांव, सिहारी, कृपालपुर, रसूलपुर ,भुरण्डा व भरौतली

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then** (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): **District(State)** (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** श्रीमती प्रिया देवी तहसीलदार

(b) **Father's Name (पिता का नाम) :** स्व0 बलवन्त सिंह

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1991

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं॰):**

(f) **Passport No.(पासपोर्ट सं॰):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	म0न0 144 नगर पंचायत खखरेरु थ,खखरेरु,फतेहपुर,उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	म0न0 144 नगर पंचायत खखरेरु थ,खखरेरु,फतेहपुर,उत्तर प्रदेश, भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9958653036

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री ओ0के0 सिंह तत्कालीन तैनात अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति कानपुर नगर			1. अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति,अकबरपुर,अक़बरपुर, कानपुर देहात,उत्तर प्रदेश,भारत
2	अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति कानपुर नगर श्री ओ0के0 सिंह के कार्यालय मे तत्कालीन तैनात			1. अकरबपुर,अक़बरपुर,कानपुर देहात,उत्तर प्रदेश,भारत
3	हिमावत पावर प्रा0लि0 के अधिकारीकर्मचारी गण Shri M. Narsingh Murty			1. ms himawat Power pvtLimited,Corp Office 397,Udyog Vihar, Phase 3,गुड़गांव,हरियाणा,भारत
4	लैंको अनपरा पावर लि0 के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अधिकारीकर्मचारी गण			1. Udyog Vihar, Phase 3, Gurgaon Haryana , गुड़गांव,हरियाणा,भारत
5	IDBI BANK शाखा अज्ञात के अधिकारीकर्मचारी गण			1. अज्ञात,कानपुर देहात,उत्तर प्रदेश,भारत
6	CANARA BANK शाखा अज्ञात के अधिकारीकर्मचारी गण			1. अज्ञात,कानपुर देहात,उत्तर प्रदेश,भारत

7	पंजाब नेशनल बैक शाखा मण्डल शस्त्र केन्द्र गुरूग्राम के अधिकारीकर्मचारी गण			1. गुरूग्राम हरियाणा ,गुड़गांव, हरियाणा,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात। विषय-जनपद कानपुर देहात की तहसील भोगनीपुर के अन्तर्गत वर्ष 2011 में हिमावत पावर प्रा0लि0 व लैंको अनपरा पावर लि0 को थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण के माध्यम से दी गयी निजी/ग्रामसभा भूमि पर कम्पनियों द्वारा बंधक प्रपत्र की शर्ता का उल्लंघन करके बेईमानी एवं षड़यंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से उक्त भूमि को बैंकों पंजाब नेशनल बैंक शाखा मण्डल शस्त्र केन्द्र गुरूग्राम, केनरा बैंक शाखा अज्ञात, आई0डी0बी0आई0 बैक शाखा अज्ञात में बंधक रखकर लगभग 300 से 400 करोड़ रूपये की राजस्व की क्षति पहुंचाये जाने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में। सादर अवगत कराना है कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक 1833/डी0एल0आर0सी0-देहात/2026 आदेश दिनांक मई 11,2026 के क्रम में दिये गये निर्देश शासकीय भूमि एंव धनराशि का प्रथम दृष्टया दुरप्रयोग किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड एंव लैंको अनपरा पावर लिमिटेड के अधिकारियो/कर्मचारियो एंव तीनो बैको यथा पंजाब नेशनल बैक, केनरा बैक व आईडीबीआई बैक के कूटरचित कार्य मे संलिप्त होने वाले तत्समय कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियो एंव अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) कानपुर नगर जिनके द्वारा कानपुर देहात मे भी भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध मे कार्य किया जाता है के कार्यालय से दिनांक 11.4.2013 व दिनांक 07.05.2013 का पत्र जारी करने वाले तत्कालीन तैनात अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) कानपुर नगर श्री ओ0के0 सिंह व उनके कार्यालय मे

तत्समय मे तैनात कर्मचारियो जिनके नामो के सम्बन्ध में वर्तमान मे अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) कानपुर नगर को ज्ञात होगा। के विरुध्द प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कराते हुए एफआईआर की एक प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। प्राप्त निर्देश के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद रमाबाई नगर (कानपुर देहात) की तहसील भोगनीपुर में 1320 मेगावाट क्षमता के मे0 हिमावत पावर प्रा0लि0 की स्थापना हेतु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या 2647 /चैबीस-पी-3-2010 दिनांक 01 सितम्बर, 2010 द्वारा तहसील भोगनीपुर के ग्राम अमिलिया, चपरघटा, कछगांव व सिहारी की ग्राम समाज की भूमि एवं निजी भूमि के पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण किए जाने हेतु शासन (ऊर्जा विभाग) ने जिलाधिकारी रमाबाई नगर (कानपुर देहात) को निर्देशित किया। तथा जनपद रमाबाई नगर (कानपुर देहात) में ही तहसील भोगनीपुर में 1320 मेगावाट क्षमता की मे0 लैन्को अनपरा पावर प्रा0लि0 की स्थापना हेतुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या 3353/चैबीस-पी-3-2010 दिनांक 10 नवम्बर, 2010 द्वारा तहसील भोगनीपुर के ग्राम कृपालपुर, चपरघटा, रसूलपुर भुरण्डा व भरतौली की ग्राम समाज की भूमि एवं निजी भूमि के पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण किए जाने हेतु शासन (ऊर्जा विभाग) ने जिलाधिकारी रमाबाई नगर (कानपुर देहात) को निर्देशित किया था, तत्पश्चात नियमानुसार ग्राम अमिलिया, सिहारी, कछगांव व चपरघटा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु वर्ष 2011 में हिमावत पावर प्रा0लि0 को थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु पुनग्र्हण (पट्टा विलेख संख्या 740/22.03.2011) के माध्यम से भूमि का पट्टा विलेख तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कानपुर देहात व हिमावत पावर प्रा0लि0 के मध्य निष्पादित हुआ, जिसमें अंकित शर्तों के अधीन तथा निजी कास्तकारों से अर्जित (अधिग्रहीत) भूमि हिमावत पावर प्रा0लि0 को भू-अध्याप्ति अधिनियम-1894 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी -(भू-अध्याप्ति), कानपुर नगर द्वारा अधिग्रहण हेतु सार्वजनिक प्रकाशन कर भूमि का अधिग्रहण कराया गया। इसी प्रकार ग्राम कृपालपुर, चपरघटा, रसूलपुर भुरण्डा व भरतौली में थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु वर्ष 2011 में लैन्को अनपरा पावर लि0 को थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु पुनर्ग्रहण (पट्टा विलेख संख्या 741/22. 03.2011) के माध्यम से भूमि का पट्टा विलेख तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कानपुर देहात व लैन्को अनपरा पावर लि0 के मध्य निष्पादित हुआ, जिसमें अंकित शर्तों के अधीन तथा निजी कास्तकारों से अर्जित (अधिग्रहीत) भूमि लैंको अनपरा पावर प्रा0लि0 को भू-अध्याप्ति अधिनियम-1894 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (भू-अध्याप्ति), कानपुर नगर द्वारा अधिग्रहण हेतु सार्वजनिक प्रकाशन कर भूमि का अधिग्रहण कराया गया। इस प्रकार हिमावत पावर प्रा0लि0एवं लैंको अनपरा पावर लि0को पुर्नग्रहण(पट्टा विलेख) से दी गई भूमि एवं निजी कास्तकारों से अर्जित (अधिग्रहीत) भूमि का विवरण निम्नवत् हैः-कम्पनी का नामग्रामसभा की पुनर्ग्रहण से दी गयी भूमि का विवरणनिजी कास्तकारों से अर्जित/अधिग्रहीत की गई भूमि का विवरणपुनर्गग्रहण एवं अधिग्रहण से दी गयी कुल भूमि

का विवरणहेक्टेअर में एकड़ मेंवर्ग मीटर मेंहेक्टेअर में एकड़ मेंवर्ग मीटर मेंहेक्टेअर में एकड़ मेंवर्ग मीटर में234567891011लैन्को अनपरा पावर लि090.
3260223.1955903260285.0524704.3642850524375.378927-
5603753780हिमावत पावर प्रा0लि0217.
813538.2152178130350.838866.9203508380568.6511405.13568651
0कुल योगः-
308.139761.41053081390635.89041571.2846358854944.0292332.69
9440290 इस प्रकार हिमावत पावर प्रा0लि0 एवं लैंको अनपरा पावर लि0 को पुनग्रहण (पट्टा विलेख संख्या) के माध्यम से 30 वर्षों की लीज पर दी गयी ग्रामसभा भूमि पर हिमावत पावर प्रा0लि0 एवं लैंको अनपरा पावर लि0द्वारा पुनग्रहण पट्टा विलेख में उल्लिखित शर्तो/धारा-7 का उल्लंघन करते हुए तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया गया तथा वर्ष 2011 से अब तक 14 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी पट्टा विलेख की धारा-1 के अनुसार पट्टाग्रहीता कम्पनी हिमावत पावर प्रा0लि0 एवं लैंको अनपरा पावर लि0 द्वारा वर्ष 2010-11 (मात्र 01 वर्ष) का वार्षिक किराया जमा करने के उपरान्त वर्ष 2024-25 तक (14) वर्ष का वार्षिक किराया जमा करने का कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।स्पष्ट है कि पट्टाग्रहीता द्वारा वर्ष 2010-11 के पश्चात् भूमि का वार्षिक किराया भी जमा नहीं किया गया है और न ही पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य ही प्रारम्भ किया गया है, इस प्रकार इन दोनों कम्पनियों द्वारा षड़यंत्रपूर्वक राज्य सरकार को लगभग 300 से 400 करोड़ रूपये की क्षति पहुंचाकर स्वयं को कम्पनियों एवं उसके मालिक अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विधिविरूद्व तरीके से सदोष लाभ पहुंचाया गया तथा कम्पनियों द्वारा नियमानुसार पट्टा विलेख में उल्लिखित धारा 7-के अनुसार भूमि का उपयोग 03 वर्ष में निर्धारित प्रयोजन हेतु कार्य न करके राज्य को अपूर्णनीय क्षति पहुंचायी। इन कम्पनियों हिमावत पावर प्रा0लि0 एवं लैंको अनपरा पावर लि0 को पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु अधिग्रहण के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) कानपुर नगर के कार्यालय से भूमि अध्याप्ति अधिनियम-1984 की धारा-4 के अन्तर्गत अधिग्रहण हेतु प्रकाशन कर अधिग्रहण कराया गया। 1320 मेगावाट मे0 हिमावत पावर प्रोजेक्ट एवं लैंको अनपरा पावर लि0 की स्थापना हेतु निजी कास्तकारों से भूमि के अर्जन/अधिग्रहण हेतु सचिव, ऊर्जा अनुभाग-3, उ0प्र0शासन लखनऊ की एग्रीमेन्ट अधिसूचना दिनांक 28.06.2011 के अन्तर्गत सचिव ऊर्जा उ0प्र0 शासन व हिमावत पावर प्रा0लि0 तथा सचिव ऊर्जा उ0प्र0 शासन व लैंको अनपरा पावर लि0 के मध्य भूमि-अध्याप्ति अधिनियम-1894 की धारा 41 के अन्तर्गत एग्रीमेन्ट किया गया। उक्त एग्रीमेन्ट की शर्त संख्या-8 में उल्लेख किया गया है कि That The Second Party shall not transfer the said land or any part thereof by sale, mortgage, gift, lease or otherwise except with the

previous sanction of the State Government.^^ Agreement ''की शर्तो का उल्लंघन करके उपरोक्त अधिग्रहण से दी गयी जमीनों को बंधक रखने के लिए बेईमानीपूर्वक कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में राज्य सरकार को क्षति पहुंचाने के लिए तथा स्वयं को दोषपूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए IDBI BANK द्वारा PUBLIC NOTICE तथा CANARA BANK बैंकों के अधिकारियों, कर्मचारियों के लगभग 300 से 400 करोड़ रूपये की (स्टेट हाईवे सं0 46 के किनारे की बेशकीमती जमीन है), के ऋण प्राप्त किये गये जबकि इन कम्पनियों को उपरोक्त भूमियों को बंधक अथवा विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योकि बंधक या विक्रय करने के लिए एग्रीमेंट की शर्त की क्रम सं0. 8 के अनुसार उ0प्र0 सरकार की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य था तथा उक्त कम्पनियों द्वारा कोई अनुमति प्राप्त नही की गयी और षड़यंत्र पूर्वक कम्पनियों के कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से द्वारा जारी प्रपत्रों की मनमानी अवैध अनियमित व्याख्या करके कूटरचित दस्तावेज तैयार करके बैंकों में शपथपत्र मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में अवैध रूप से दर्शाकर प्रस्तुत करके (कि उक्त कम्पनियों को उपरोक्त भूमि को बंधक रखने का अधिकार प्राप्त था।) लगभग300 से 400करोड़ रू0 की जमीन को बंधक करके अवैध लाभ कमाया और राज्य सरकार को क्षति पहुंचायी तथा सम्बन्धित प्रोजेक्ट को भी प्रारंभ नहीं किया। जबकि उप सचिव उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग 1.लखनऊ के पत्र संख्या 732/एक-1-2025/1870039 राजस्व अनुभाग-01 दिनांक 17.11.2025 (डिजटेल सिग्नेचर)/18.11.2025 (पत्रांक संख्या) एवं पत्र संख्या 733/एक-1-2025/1870018 राजस्व अनुभाग-01 दिनांक 17.11.2025 (डिजटेल सिग्नेचर)/18.11.2025 (पत्रांक संख्या) द्वारा स्पष्ट रूप से यह पैरा-2 में उल्लिखित है कि ऊर्जा विभाग द्वारा ही उपरोक्त भूमि कम्पनियों को लीज पर दिया गया और उक्त कम्पनियों को ऊर्जा विभाग द्वारा लीज पर दी गयी भूमि को बैंकों में बंधक रखने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कोई अनुमति राजस्व विभाग के स्तर से नहीं दी गयी है तथा अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग 3 लखनऊ के पत्र संख्या 24-3099/22/2026-.उर्जा-अनुभाग-3. Department of Energy दिनाक 11.05.2026 (डिजिटल हस्ताक्षर) में स्पष्ट किया गया है कि उक्त एग्रीमेन्ट के शर्त संख्या 8 के क्रम में हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड एंव लैंको अनपरा पावर लिमिटेड द्वारा भूमि को बैक मे बंधक रखने की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु कोई भी पत्र शासन/ऊर्जा विभाग को प्रेषित नही किया गया है और न ही इस सम्बन्ध में शासनध/ऊर्जा विभाग द्वारा कोई अनुमति प्रदान की गयी है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त कम्पनियों के अधिकारियों/ Shri N.N. Murty RajuVice President,Lanco Anapara Power Limited,Kanpur Office: 28 Bhargava Estate, Civil Lines, Kanpur (U.P.) Corp. Office: 397, Udyog Vihar, Phase 3, Gurgaon (Haryana) Regd. Office: 411/9 River Side Apartments, New Hyderabad, Lucknow (U.P.) and Shri N.

N. Murty RajuVice President,Lanco Anapara Power Limited,Kanpur Office: 28 Bhargava Estate, Civil Lines, Kanpur (U.P.) Corp. Office: 397, Udyog Vihar, Phase 3, Gurgaon (Haryana) Regd. Office: 411/9 River Side Apartments, New Hyderabad, Lucknow (U.P.) तथा तत्कालीन विभिन्न बैंकों पंजाब नेशनल बैंक शाखा मण्डल शस्त्र केन्द्र गुरूग्राम, केनरा बैंक शाखा अज्ञात, आई0डी0बी0आई0 शाखा अज्ञात के बैंक अधिकारियो व कर्मचारियो तथा राजस्व के श्री ओ0के0 सिंह तत्कालीन अपर जिलाधिकारी भूमि अध्यापित कानपुर नगर द्वारा जारी पत्रांक सं0 1731/आठ-अ0जि0(भ0अ0)कानपुर नगर दिनांक 07.05.2013 एवं पत्रांक सं0 1034/आठ-अ0जि0(भू0अ0) कानपुर नगर दिनांक 11.04.2013 जारी करने वाले तथा तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों व अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के षड़यंत्रपूर्वक अवैध तरीके से खतौनी में नाम पंजीकृत कराने तथा कूटरचित दस्तावेज तैयार करके, बनाकर के मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में विधिविरूद्व तरीके से अवैध लाभ अर्जित करने तथा सरकार को लगभग 300 से 400 करोड़ रूपये की विधिविरूद्व क्षति पहुंचाने के लिए तथा सरकारी रूपये के गबन करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधि अनुसार कार्यवाही करके दण्डित करने की कृपा करें। संलग्नक 1.उपसचिव उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग 1लखनऊ के पत्र संख्या 732/एक-1-2025/1870039 राजस्व अनुभाग-01 दिनांक 17.11.2025 (डिजटेल सिग्नेचर) /18.11.2025 (पत्रांक संख्या) एवं पत्र संख्या 733/एक-1-2025/1870018 राजस्व अनुभाग-01 दिनांक 17.11.2025 (डिजटेल सिग्नेचर)/18.11.2025 2. अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग 3 लखनऊ के पत्र संख्या 24-3099/22/2026-उर्जा-अनुभाग-3- Department of Energy दिनांक 11.05.2026 भवदीय, हस्ताक्षर अपठनीय 10/05/2026 तहसीलदार भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात नोट मैं का0 10 सौरभ सचान प्रमाणित करता हूँ मुकदमे की कायमी व तहरीर की नकल मेरे द्वारा बोल बोल कर कम्प्यूटर पर का0 610 अनुराग शर्मा से टाइप कराई गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. **2** में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): Reena Gautam(I (Inspector)) / 132410050 **or** (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): **Rank** (पद):

No. (सं.): **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): **District** (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) **.**

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name Reena Gautam
Rank I (Inspector)
No. 132410050

Attachment to item 7 of First Information Report
(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:
(If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :
(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से॰मी॰))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	महिला					
3	पुरुष					

4	अज्ञात					

5	अज्ञात					

6	अज्ञात					

7	महिला					

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)